अध्याय 1

सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का परिचय

1.1 सामान्य परिचय

लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए सरकारी विभागों को सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यू) तथा सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूहीकृत किया गया है। इस प्रतिवेदन में सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्रों के गैर-पी एस यू एवं पी एस यू दोनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ आच्छादित हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-2** सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यू) से सम्बन्धित है। क्षेत्रवार पुनर्गठन के अन्तर्गत, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिवों/ सचिवों/ प्रबन्ध निदेशकों/ निदेशकों की अध्यक्षता में राज्य के सामाजिक क्षेत्र में 32 सरकारी विभाग एवं 38 स्वायत्त निकाय, आर्थिक क्षेत्र में 20 सरकारी विभाग तथा तीन स्वायत्त निकाय, सामान्य क्षेत्र में 23 सरकारी विभाग एवं एक स्वायत्त निकाय हैं जिनकी लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा की जाती है।

इस अध्याय में राज्य सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा, इन विभागों/निकायों के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन पिछले तीन वर्षों (2009-12) के दौरान व्यय की रूपरेखा तथा लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों के आच्छादन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा, सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निष्कर्ष एवं एक सरकारी विभागों के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखापरीक्षा परिणाम भी इस अध्याय में शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-3** राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित है। क्षेत्रीय पुनर्गठन के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र के अधीन सरकार के पाँच विभाग (वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, मनोरंजन कर) सम्मिलित किये गये हैं। ये कर राजस्व से सम्बन्धित है। सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले अन्य विभाग करेत्तर राजस्व का योगदान करते हैं। कर प्राप्तियों के प्रमुख क्षेत्र - बिक्री/ व्यापार पर कर, वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा प्रशासित सेवाओं पर कर, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस, वाहनों पर कर आदि हैं। उपर्युक्त पाँच विभागों की कुल 239 इकाईयों में से 106 इकाईयों की लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व क्षेत्र द्वारा सम्पादित की गई है।

इस अध्याय में राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ, राजस्व बकायों का विश्लेषण आदि के अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, इस

अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा राजस्व क्षेत्र सम्बन्धी विभागीय केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-4** आर्थिक क्षेत्र (पी एस यू) से सम्बन्धित है। क्षेत्रवार पुनर्गठन के अन्तर्गत, आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के 20 विभाग हैं। जिनमें कुछ प्रमुख विभाग यथा उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राम्य एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में 22 कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को करने हेतु कार्यशील राज्य पी एस यूज को स्थापित किया गया है। उत्तराखण्ड में राज्य के पी एस यूज के उपक्रमों का राज्य आर्थिकी में प्रमुख स्थान है। सितम्बर 2012 तक कार्यशील राज्य पी एस यूज द्वारा अपने अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2011-12 में ₹ 3258.60 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है। उनका कारोबार वर्ष 2011-12 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) ₹ 60898 करोड़ के 5.35 *प्रतिशत* के समतुल्य था। राज्य पी एस यूज की प्रमुख गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित हैं। कार्यशील पी एस यूज ने वर्ष 2011-12 में ₹ 562.75 करोड़ की हानि उठायी (**परिशिष्ट 5.1**)। उनके द्वारा 31 मार्च 2012 तक 18,329[1] कर्मचारियों को रोज़गार दिया था।

इस अध्याय में आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा लेखापरीक्षा अधिदेश, बजटीय व्यय, अनुदान/ सब्सिडी, गारंटियाँ तथा ऋण, लेखाओं के अन्तिम रूप देने में बकाये आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा साजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित लेन-देन की लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक प्रयोजन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानक अपेक्षा करता है कि वस्तुपरक वर्णन लेनदेन के विस्तार तथा प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि सरकारी कार्यपालकों को सुधारात्मक कार्यवाहियाँ कराने तथा नीति एवं निर्देशों को बनाने की क्षमता दें जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में बेहतर शासन में योगदान देते हुए, संगठनों के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हो।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य है कि लेखापरीक्षित इकाईयों के व्यय, प्राप्तियों, सम्पत्तियों तथा देयताओं से सम्बन्धित लेन-देन की जाँच करना ताकि भारत के संविधान, लागू विधि, नियम, विनियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

[1] 16 पी एस यू द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतन्त्र मूल्याँकण या जाँच है जिससे यह पता लगे कि कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना कहाँ तक मितव्ययतापूर्वक, दक्ष एवं प्रभावी-ढंग से संचालित होती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन में हुई कई महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता, जिसने विभाग के क्रियाविधि एवं कार्यक्रमों की सफलता पर प्रभाव डाला हो, पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।